

एफ. सं.- सीएसआर/13/35/2024

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(पीएमआईएस सेल)

\*\*\*\*\*

5<sup>वाँ</sup> तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,

डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड,

नई दिल्ली-110 001

दिनांक: 03.10.2024

### कार्यालय ज्ञापन

**विषय: “प्रधानमंत्री इंटरनेशिप योजना - पायलट प्रोजेक्ट (वित्तीय वर्ष 2024-25)” के लिए दिशानिर्देश।**

बजट 2024-25 में शीर्ष कंपनियों में प्रधानमंत्री इंटरनेशिप योजना की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य पांच साल में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटरनेशिप का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को 12 महीने तक विभिन्न व्यवसायों और रोजगार के अवसरों में वास्तविक जीवन के कारोबारी माहौल का अनुभव मिलेगा।

2. इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत में, जिसमें कई हितधारक और कौशल विकास की नवीन अवधारणाएँ शामिल हैं, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.25 लाख इंटरनेशिप अवसर प्रदान करने के लक्ष्य के साथ योजना की एक पायलट परियोजना शुरू की जा रही है। इस पायलट परियोजना के लिए शीर्ष कंपनियों की पहचान पिछले तीन वर्षों के सीएसआर व्यय के औसत के आधार पर की गई है। इस योजना में कंपनियों की भागीदारी स्वैच्छिक है। इन कंपनियों की सूची पीएम इंटरनेशिप योजना पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

3. इस योजना के प्रयोजन के लिए इंटरनशिप को इंटरन और कंपनी के बीच एक व्यवस्था के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसमें कंपनी इंटरन को व्यवसाय या संगठन के वास्तविक जीवन के वातावरण में प्रशिक्षण, अनुभव और कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है, जो अकादमिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटने में मदद करता है, और बदले में उसकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने में सहायता करता है।

4. **कार्यक्षेत्र:** यह योजना कौशल विकास, प्रशिक्षुता , इंटरनशिप और छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि से संबंधित सभी मौजूदा योजनाओं से अलग है , जो भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही हैं, और ऐसी सभी केंद्रीय/राज्य योजनाओं से स्वतंत्र रूप से संचालित होगी।

#### 5. पायलट परियोजना की मुख्य विशेषताएं

5.1 **इंटरनशिप की अवधि:** इंटरनशिप की अवधि 12 महीने होगी। इंटरनशिप अवधि का कम से कम आधा हिस्सा वास्तविक कार्य अनुभव/नौकरी के माहौल में बिताना होगा, न कि कक्षा में।

#### 5.2 उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदंड

5.2.1 **आयु:** 21 से 24 वर्ष (आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक) के बीच की आयु के युवा, भारतीय राष्ट्रियता से संबंधित, जो पूर्णकालिक रोजगार में नहीं हैं और पूर्णकालिक शिक्षा में नहीं लगे हुए हैं। ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में नामांकित उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं।

5.2.2 **शैक्षिक योग्यता:** जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल पास किया है, जिनके पास आईटीआई से प्रमाण पत्र है, किसी पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा है, या जिनके पास बीए, बीएससी , बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीफार्मा आदि डिग्री है, वे पात्र हैं।

### 5.2.3 अयोग्यता मानदंड : निम्नलिखित व्यक्ति भाग लेने के लिए अयोग्य हैं:

- (i) आईआईटी, आईआईएम, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों, आईआईएसईआर, एनआईडी और आईआईआईटी से स्नातक।
- (ii) जिनके पास सीए, सीएमए, सीएस, एमबीबीएस, बीडीएस, एमबीए, कोई भी मास्टर या उच्च डिग्री जैसी योग्यताएं हों।
- (iii) वे लोग जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत किसी कौशल, प्रशिक्षुता, इंटरनशिप या छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हों।
- (iv) जिन्होंने किसी भी समय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) या राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के तहत प्रशिक्षुता, प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो।
- (v) यदि उम्मीदवार के परिवार के किसी भी सदस्य की आय वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 8 लाख रुपये से अधिक है।
- (vi) यदि परिवार का कोई सदस्य स्थायी/नियमित सरकारी कर्मचारी है।

**नोट:** पायलट परियोजना के प्रयोजनों के लिए:

- (i) "परिवार" का अर्थ है स्वयं, माता-पिता और जीवनसाथी।
- (ii) "सरकार" का तात्पर्य केन्द्र एवं राज्य सरकारें, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, केन्द्र एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, वैधानिक संगठन, स्थानीय निकाय आदि से है।
- (iii) "कर्मचारी" से तात्पर्य नियमित/स्थायी कर्मचारी से है, परंतु इसमें संविदा कर्मचारी शामिल नहीं हैं।

### 5.3 कंपनियों (भागीदार कंपनियों) के भाग लेने के लिए मानदंड

**5.3.1** मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के औसत सीएसआर व्यय के आधार पर शीर्ष 500 कंपनियों की पहचान की है। इनके अतिरिक्त, कोई भी अन्य कंपनी/बैंक/वित्तीय संस्थान जो इस योजना में भाग लेने की इच्छुक है, वह कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) की मंजूरी

से ऐसा कर सकती है, जो उपर्युक्त 500 कंपनियों में कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों और क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगा।

**5.3.2** यदि साझेदार कंपनी अपनी कंपनी में सीधे तौर पर ऐसे इंटर्नशिप अवसर प्रदान नहीं कर सकती है, तो वह निम्नलिखित के साथ गठजोड़ कर सकती है:

- इसकी अग्रिम और पश्चवर्ती आपूर्ति श्रृंखला में शामिल कंपनियां (जैसे आपूर्तिकर्ता/ग्राहक/विक्रेता), या;
- इसके समूह की अन्य कम्पनियां/संस्थाएं; या अन्यथा।

**5.4 सहायता और लाभ:** यह एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ( डीबीटी ) योजना है। योजना के तहत सहायता, वित्तीय लाभ और वित्तपोषण पैटर्न का विवरण नीचे दिया गया है:

**5.4.1 इंटर्न को मासिक सहायता:** इंटर्नशिप के पूरे 12 महीनों की अवधि के लिए इंटर्न को 5,000 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी। इसमें से, हर महीने कंपनी, उपस्थिति और अच्छे आचरण आदि से संबंधित कंपनी की नीतियों के आधार पर कंपनी के सीएसआर फंड से प्रत्येक इंटर्न को 500 रुपये जारी करेगी। एक बार कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने के बाद, सरकार इंटर्न के आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से उम्मीदवार को 4,500 रुपये का भुगतान करेगी। यदि कोई कंपनी 500 रुपये से अधिक मासिक सहायता प्रदान करना चाहती है, तो वह अपने स्वयं के फंड से ऐसा कर सकती है।

**5.4.2 आकस्मिक व्यय के लिए अनुदान:** इंटर्नशिप स्थान पर इंटर्न के कार्यभार ग्रहण करने पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सरकार द्वारा प्रत्येक इंटर्न को आकस्मिक व्यय के लिए 6,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान वितरित किया जाएगा।

**5.4.3 प्रशिक्षण लागत :** योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण से संबंधित व्यय, मौजूदा नियमों के अनुसार, कंपनी द्वारा अपने सीएसआर फंड से वहन किया जाएगा।

**5.4.4 प्रशासनिक लागत:** कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत, इस योजना के तहत किए गए सीएसआर व्यय का 5% तक कंपनी द्वारा प्रशासनिक लागत के रूप में दर्ज किया जा सकता है।

**5.4.5 बीमा कवरेज:** भारत सरकार की बीमा योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रत्येक व्यक्तिगत इंटरन को बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए प्रीमियम राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, कंपनी इंटरन को अतिरिक्त दुर्घटना बीमा कवरेज भी प्रदान कर सकती है।

## 5.5 कार्यान्वयन तंत्र

**5.5.1** इस योजना को कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित एक ऑनलाइन पोर्टल ([www.pminternship.mca.gov.in](http://www.pminternship.mca.gov.in)) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। यह पोर्टल योजना के संपूर्ण कार्यान्वयन और इंटरनशिप जीवनचक्र प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में काम करेगा।

**5.5.2 इंटरनशिप के अवसर पोस्ट करने की प्रक्रिया:** इंटरनशिप के अवसर पोस्ट करने के लिए पोर्टल पर प्रत्येक भागीदार कंपनी को एक समर्पित डैशबोर्ड प्रदान किया जाएगा। इंटरनशिप के अवसरों में दी जाने वाली इंटरनशिप का विवरण शामिल होगा, जैसे इंटरनशिप का स्थान, इंटरनशिप की प्रकृति, आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली कोई भी सुविधा आदि।

**5.5.3 उम्मीदवारों के लिए पंजीकरण/आवेदन प्रक्रिया:** योग्य उम्मीदवारों को पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना होगा। उम्मीदवारों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, पोर्टल द्वारा एक बायोडाटा तैयार किया जाएगा। उम्मीदवारों को पसंदीदा क्षेत्रों, कार्यात्मक भूमिकाओं, स्थानों और अन्य मानदंडों के लिए ब्राउज़िंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीदवार तब स्थान (राज्य, जिला), क्षेत्र, कार्यात्मक भूमिका और योग्यता सहित अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर पाँच (5) इंटरनशिप अवसरों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

**5.5.4 शॉर्टलिस्टिंग और चयन:** पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक इंटरनेशिप अवसर के लिए उम्मीदवारों का एक समूह शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया उम्मीदवारों की प्राथमिकताओं और कंपनियों द्वारा पोस्ट की गई आवश्यकताओं पर आधारित होगी। शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया में, कम रोजगार क्षमता को प्राथमिकता देने वाले और आवेदक आधार में व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने वाले मानदंडों पर विचार किया जाएगा। शॉर्टलिस्टिंग मानदंड का उद्देश्य इंटरनेशिप कार्यक्रम में विविधता और सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देना है। उपरोक्त सुनिश्चित करने के लिए, पोर्टल आबादी के सभी वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए उपकरणों का उपयोग करेगा। प्रत्येक इंटरनेशिप के लिए प्रस्तावों की संख्या के आधार पर, उम्मीदवारों के रिज्यूमे के साथ लगभग दोगुने/तीन गुने नाम चयन के लिए कंपनी को भेजे जाएंगे। कंपनियां अपने संबंधित चयन मानदंडों और प्रक्रियाओं के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करने और इंटरनेशिप ऑफर देने में सक्षम होंगी। एक बार कंपनी द्वारा उम्मीदवार को प्रस्ताव भेजे जाने के बाद, उम्मीदवार पोर्टल के माध्यम से स्वीकृति व्यक्त करने में सक्षम होगा। पायलट परियोजना के लिए विस्तृत कार्यान्वयन तंत्र अनुलग्नक-1 में दिया गया है। यह तंत्र इस मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

**5.5.5** यह स्पष्ट किया जाता है कि इंटरनेशिप की पेशकश से मंत्रालय या संबंधित कंपनी और चयनित इंटरने के बीच नियोक्ता-कर्मचारी का कोई संविदात्मक या कानूनी संबंध नहीं बनेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इंटरनेशिप की ऐसी पेशकश को संबंधित कंपनी या मंत्रालय द्वारा इंटरनेशिप की अवधि के दौरान या उसके बाद भविष्य में रोजगार देने के प्रस्ताव या वादे के रूप में नहीं समझा जा सकता है।

**5.5.6 परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश:** पोर्टल के माध्यम से पायलट परियोजना में भाग लेने वाली कंपनियों और युवाओं के लिए विस्तृत परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

**5.6 सर्वोत्तम प्रथाओं की मान्यता :** मंत्रालय प्रशिक्षुओं, कंपनियों को उनके असाधारण प्रदर्शन, नवाचार और अन्य मानदंडों के आधार पर मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करेगा।

**5.7 शिकायत निवारण तंत्र:** हितधारकों की चिंताओं और समस्याओं को दूर करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा ताकि समय पर समाधान सुनिश्चित किया जा सके और उपयोगकर्ताओं की समग्र संतुष्टि बढ़ाई जा सके। शिकायत निवारण प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं नीचे सूचीबद्ध हैं:

- i) **इंटरनेट पोर्टल :** इंटरनेट, कंपनियां आदि सहित सभी हितधारक पोर्टल से जुड़े चैटबॉट सहित क्वेरी निवारण टूल के माध्यम से अपने प्रश्न या शिकायतें प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे। इन उपकरणों की परिकल्पना प्रश्नों के आसान पंजीकरण, वास्तविक समय ट्रेकिंग और समाधान की स्थिति पर अपडेट की सुविधा के लिए की गई है।
- ii) **समर्पित कॉल सेंटर :** हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों/प्रश्नों के समाधान के लिए एक बहुभाषी कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा।

## **6. प्रशासनिक और निगरानी ढांचा**

**6.1** योजना के डिजाइन, कार्यान्वयन, संचालन और अन्य पहलुओं की देखरेख के लिए एक निगरानी और संचालन समिति (एमएससी) होगी। एसएससी में एमसीए, अन्य मंत्रालयों/विभागों के अधिकारी और उद्योग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एमएससी को पायलट प्रोजेक्ट के दिशा-निर्देशों, पात्रता, चयन मानदंड, संचार और आउटरीच रणनीति, निगरानी, मूल्यांकन आदि में किसी भी संशोधन सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, सिफारिशें करने का अधिकार होगा। मंत्रालय योजना के प्रभावी कार्यान्वयन, समीक्षा और समन्वय के लिए कोई अन्य समिति(याँ) भी गठित कर सकता है।

6.2 समवर्ती निगरानी, मूल्यांकन और शिक्षण (एमईएल) ढांचा विकसित किया जाएगा ताकि समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई), आवधिक डाटा रिपोर्ट और प्रदर्शन स्कोरकार्ड को दर्शाने वाले डैशबोर्ड का उपयोग सभी मोर्चों पर शुरू से अंत तक कार्यान्वयन की नियमित निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए किया जाएगा। स्वतंत्र मूल्यांकन के साथ-साथ आवधिक मूल्यांकन/मूल्यांकन अध्ययन भी किए जाएंगे।

7. **संचार, जागरूकता और क्षमता निर्माण:** योजना को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए संचार, वकालत और क्षमता निर्माण पहल की जाएगी, ताकि जागरूकता बढ़ाई जा सके और इसके लाभों को उजागर किया जा सके। उम्मीदवारों और उद्योग की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए पोर्टल पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, उपयोगकर्ता मैनुअल, निर्देशात्मक वीडियो और सूचनात्मक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

8. **राज्य सरकारों के साथ समन्वय :** आवश्यकतानुसार राज्य सरकारों/पीआरआई/यूएलबी के साथ समन्वय किया जाएगा।

9. **पायलट प्रोजेक्ट से सीख:** योजना की मात्रा और जटिल प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, पायलट प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण चरण है जो पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन से पहले अवधारणाओं, रणनीतियों और प्रणालियों का परीक्षण करने की अनुमति देता है। पायलट प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त फीडबैक और परिणामों के मूल्यांकन के आधार पर मंत्रालय द्वारा सीखे गए सबक एकत्र किए जाएंगे। बजट 2024-25 में घोषित पीएम इंटरनेशनल योजना के पहले चरण को लागू करते समय इसे ध्यान में रखा जाएगा।

10. यह माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

-sd-

(अनुराधा ठाकुर)

अपर सचिव



सेवा में,

1. कारपोरेट कार्य महानिदेशक, कारपोरेट के मंत्रालय
2. सभी क्षेत्रीय निदेशक एवं
3. सभी कम्पनी रजिस्ट्रार।

प्रतिलिपि:

1. वित्त सचिव एवं सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग
2. सचिव, समन्वय, कैबिनेट सचिवालय
3. सचिव, आर्थिक मामले विभाग
4. सचिव, व्यय विभाग
5. सचिव, वित्तीय सेवा विभाग
6. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
7. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
8. सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
9. सचिव, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय
10. सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
11. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को इस योजना के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करने का अनुरोध।
12. श्री सौरभ शुक्ला, निदेशक, प्रधानमंत्री कार्यालय
13. माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री के निजी सचिव
14. माननीय कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री के निजी सचिव
15. कैबिनेट सचिव के प्रधान निजी सचिव

16. मुख्य लेखा नियंत्रक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

17. गार्ड फ़ाइल

**कार्यान्वयन तंत्र**

[www.pminternship.mca.gov.in](http://www.pminternship.mca.gov.in) पर उपलब्ध पोर्टल विकसित करेगा। यह पोर्टल एंड-टू-एंड योजना कार्यान्वयन और इंटरनशिप जीवनचक्र प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में काम करेगा।

2. पोर्टल और अन्य कार्यान्वयन प्रक्रियाओं का व्यापक अवलोकन नीचे दिया गया है:

2.1 **साझेदार कम्पनियों की सूची** : साझेदार कम्पनियों की सूची पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।

2.2 **इंटरनशिप के अवसर** : इंटरनशिप के अवसर पार्टनर कंपनियों द्वारा पोर्टल पर पोस्ट किए जा सकते हैं। इंटरनशिप के अवसरों में इंटरनशिप का विवरण शामिल होगा, जैसे इंटरनशिप का स्थान, इंटरनशिप की भूमिका/कार्य, आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अन्य विशेष आवश्यकता, कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली कोई सुविधा आदि।

2.3 **उम्मीदवार पंजीकरण और प्रोफाइल निर्माण** : उम्मीदवारों को पहले आधार प्रमाणीकरण या ईकेवाईसी के माध्यम से पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, प्रमाणपत्र (यदि कोई हो) जैसी जानकारी और अन्य प्रासंगिक विवरण उम्मीदवारों द्वारा पोर्टल पर निर्दिष्ट अनुसार प्रदान किए जाने चाहिए। शैक्षिक योग्यता और प्रमाणपत्रों का प्रमाण उम्मीदवारों द्वारा अपलोड किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को पोर्टल पर एक स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें पुष्टि की जाएगी कि इन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट सभी पात्रता आवश्यकताओं को पूरा किया गया है और कोई भी अयोग्यता मानदंड लागू नहीं होता है। प्रस्तुत विवरण के आधार पर, उम्मीदवार के लिए पोर्टल द्वारा एक रिज्यूम तैयार किया जाएगा।

2.4 **उम्मीदवार आवेदन** : उम्मीदवारों द्वारा आधार प्रमाणीकरण के बाद, उम्मीदवारों को उनके पसंदीदा क्षेत्रों, कार्यात्मक भूमिकाओं, स्थानों और अन्य मानदंडों के आधार पर

इंटरनेशिप अवसरों के माध्यम से ब्राउज़ करने के लिए एक ब्राउज़िंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीदवार तब स्थान (राज्य, जिला), क्षेत्र, कार्यात्मक भूमिका और योग्यता सहित अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर पाँच (5) इंटरनेशिप अवसरों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

**2.5 उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग :** पोर्टल द्वारा प्रत्येक इंटरनेशिप अवसर के लिए उम्मीदवारों का एक समूह शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। प्रत्येक इंटरनेशिप के लिए प्रस्तावों की संख्या के आधार पर, कंपनी को भेजे जाने वाले आवेदनों की संख्या से लगभग दोगुने/तीनगुने आवेदन शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया में, कम रोजगार क्षमता को प्राथमिकता देने वाले और आवेदक आधार में व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने वाले मानदंडों पर विचार किया जाएगा। शॉर्टलिस्टिंग मानदंड का उद्देश्य इंटरनेशिप कार्यक्रम में विविधता और सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देना है। उपरोक्त सुनिश्चित करने के लिए, पोर्टल आबादी के सभी वर्गों, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए उपकरणों का उपयोग करेगा।

**2.6** इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को चयन के लिए प्रत्येक कंपनी को भेजा जाएगा।

**2.7 उम्मीदवारों का चयन :** शॉर्टलिस्ट किए गए समूह से, कंपनियाँ अपने संबंधित चयन मानदंडों और प्रक्रियाओं के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करने में सक्षम होंगी। कंपनी द्वारा पोर्टल के माध्यम से उम्मीदवारों को इंटरनेशिप ऑफ़र भेजे जाएँगे। एक बार कंपनी द्वारा उम्मीदवार को ऑफ़र भेजे जाने के बाद, उम्मीदवार पोर्टल के माध्यम से स्वीकृति व्यक्त करने में सक्षम होगा। एक उम्मीदवार को एक चक्र में दो (2) इंटरनेशिप ऑफ़र मिल सकते हैं। कंपनियों के उपयोग के लिए पोर्टल पर ऑफ़र लेटर का एक मॉडल प्रारूप उपलब्ध होगा।

**2.8 इंटरनेशिप दस्तावेज़ तैयार करना :** उम्मीदवार द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर, पोर्टल स्वचालित रूप से एक इंटरनेशिप दस्तावेज़ तैयार करेगा जिसमें इंटरनेशिप का

विवरण स्पष्ट रूप से बताया गया होगा, जिसमें इंटरन और कंपनी दोनों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ शामिल होंगी। इंटरनशिप दस्तावेज़ का एक मॉडल प्रारूप पोर्टल पर उपलब्ध होगा।

**2.9 इंटरनशिप जॉइनिंग :** एक बार जब उम्मीदवार इंटरनशिप जॉइन कर लेता है, तो कंपनी पोर्टल पर इसकी पुष्टि करेगी। इस पुष्टि से आकस्मिक व्यय के लिए अनुदान के रूप में ₹6,000 की राशि जारी की जाएगी, जिसे सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से उम्मीदवार को वितरित करेगी।

**2.10 इंटरनशिप :** हर महीने कंपनी ₹500 का भुगतान करेगी और इस भुगतान की रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज करेगी। इस पुष्टि के बाद, सरकार द्वारा ₹4,500 जारी किए जाएंगे, जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से उम्मीदवार को वितरित किए जाएंगे।

**2.11 समापन और प्रमाणन :** इंटरनशिप सफलतापूर्वक पूरा करने पर, भागीदार कंपनी द्वारा उम्मीदवार को समापन का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। प्रमाण पत्र का एक मॉडल प्रारूप पोर्टल पर उपलब्ध होगा। प्रमाण पत्र केवल भाग लेने वाली भागीदार कंपनियों द्वारा जारी किया जाएगा।

### **3. कंपनियों के लिए दिशानिर्देश**

**3.1** कंपनी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह व्यक्ति को उस कौशल पर वास्तविक कार्य अनुभव प्रदान करे जिसमें कंपनी सीधे तौर पर शामिल है। यह सख्ती से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इंटरनशिप अवधि का कम से कम आधा हिस्सा वास्तविक कार्य/वास्तविक जीवन के व्यावसायिक माहौल में हो, न कि कक्षा में।

**3.2** यदि कंपनी सीधे तौर पर इंटरनशिप के अवसर प्रदान नहीं कर सकती है, तो वह निम्नलिखित के साथ गठजोड़ कर सकती है:

- इसकी अग्रिम और पश्चवर्ती आपूर्ति श्रृंखला में शामिल कंपनियाँ (जैसे आपूर्तिकर्ता/ग्राहक/विक्रेता) या
- इसके समूह की अन्य कम्पनियां/संस्थाएं; या अन्यथा।

**3.3** कंपनियों को सलाह दी जाती है कि वे इंटर्नशिप के लिए आवश्यक योग्यता से अधिक योग्यता निर्धारित न करें।

**3.4** कंपनियों को अकुशल भूमिकाओं जैसे सफाई, डिलीवरी, कुली, सुरक्षा गार्ड, ऑफिस बॉय आदि के लिए इंटर्नशिप की पेशकश नहीं करनी चाहिए।

**3.5** कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी जाती है कि पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत दी जाने वाली इंटर्नशिप किसी अन्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजना के तहत उनके द्वारा दी जाने वाली अन्य कौशल/प्रशिक्षुता/इंटर्नशिप/छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम से अलग हो।

**3.6** प्रत्येक इंटर्न को जाँइन करने पर कंपनियों द्वारा पर्यवेक्षक या सलाहकार नियुक्त किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, कंपनियों को प्रत्येक इंटर्न के सॉफ्ट और रोजगार योग्यता कौशल को प्रदान करने या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

**3.7** भाग लेने वाली साझेदार कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इंटर्नशिप प्रबंधन कार्यक्रम और अपनी कंपनी तथा अपनी अग्रिम व पश्चवर्ती आपूर्ति श्रृंखला (जैसे आपूर्तिकर्ता/ग्राहक/विक्रेता) या अपने समूह की अन्य कंपनियों/संस्थाओं में प्रस्तावित विभिन्न इंटर्नशिप अवसरों का संचालन करें।

**3.8** कंपनियों को समय-समय पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने के लिए अपनी स्वयं की प्रणाली का पालन करना होगा। उम्मीदवारों की तिमाही मूल्यांकन रिपोर्ट कंपनी द्वारा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

**3.9** यदि कोई इंटरन इंटरनशिप पूरी होने से पहले ही वापस ले लेता है या छोड़ देता है , तो कंपनी को इंटरन को 'ड्रॉपआउट' के रूप में चिह्नित करके पोर्टल के माध्यम से सरकार को यह जानकारी देनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सरकार द्वारा उम्मीदवार को कोई और भुगतान नहीं किया जाएगा। उपस्थिति, आचार संहिता और ड्रॉपआउट के संबंध में कंपनी की मानक नीतियों को लागू किया जाएगा। **आम तौर पर , एक इंटरन को ड्रॉपआउट माना जाएगा यदि** वे अचानक और अपने मैटर/सुपरवाइजर को सूचित किए बिना अपनी इंटरनशिप आवश्यकताओं को पूरा करना बंद कर देते हैं और मैटर या सुपरवाइजर द्वारा उचित अवधि में दो बार संवाद करने के प्रयासों के बावजूद जवाब देने और/या फिर से शामिल होने में विफल रहते हैं, या यदि वे जारी रखने की अनिच्छा व्यक्त करते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को फिर से शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और उन्हें कोई इंटरनशिप प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, वे इस योजना के तहत एक वर्ष के लिए किसी भी इंटरनशिप के लिए आवेदन करने से अयोग्य हो जाएंगे।

**3.10** यह स्पष्ट किया जाता है कि इंटरनशिप की पेशकश से मंत्रालय या संबंधित कंपनी और चयनित इंटरन के बीच नियोक्ता-कर्मचारी का कोई संविदात्मक या कानूनी संबंध नहीं बनेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इंटरनशिप की ऐसी पेशकश को संबंधित कंपनी या मंत्रालय द्वारा इंटरनशिप की अवधि के दौरान या उसके बाद भविष्य में रोजगार देने के प्रस्ताव या वादे के रूप में नहीं समझा जा सकता है।

#### **4. अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश**

**4.1** संस्थान के नियम और विनियम, जिनमें समय, अवकाश, छुट्टी, आचरण और अनुशासन से संबंधित नियम शामिल हैं, का प्रशिक्षु द्वारा पालन किया जाएगा।

**4.2** चिकित्सा आपातकाल, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या ऐसी ही आपातकालीन परिस्थितियों में, कंपनी की नीतियों और/या मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी निर्देश के अनुसार, प्रशिक्षु को दो महीने तक का अवकाश दिया जा सकता है। अवकाश अवधि के दौरान कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी; हालाँकि, प्रशिक्षु को

फिर से शामिल होने और समग्र 12 महीने की इंटरनशिप अवधि की शेष अवधि को पूरा करने की अनुमति दी जाएगी। यदि अवकाश अवधि दो महीने से अधिक हो जाती है, तो उम्मीदवार को इसे बंद करना होगा और अगले इंटरनशिप प्रस्ताव चक्र में फिर से आवेदन करना होगा।

**5. निष्पादन की मान्यता :** इंटरन को कंपनियों की नीतियों के अनुसार कंपनियों द्वारा उनके प्रदर्शन और आचरण का निरंतर मूल्यांकन किया जाएगा। योजना के लिए आत्मविश्वास और आकांक्षात्मक मूल्य बनाने के लिए, कंपनियों को उत्कृष्ट इंटरन को मान्यता देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और यह मान्यता कंपनियों की वेबसाइटों और इस पोर्टल पर प्रदर्शित की जा सकती है।